राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 10(10)उच्च शिक्षा/ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांकः–23.06.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 26.00.0 की अनुपालना में युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए योजना की क्रियान्विति हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिन्दु सं. 26.00.0 की क्रियान्विति हेतु राजकीय महाविद्यालयों के साथ ही राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय(चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त) के लगभग 2200 शोधार्थियों को, जो किसी प्रकार की फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, प्रति माह 20000/– की फैलोशिप प्रदान करने हेतु राशि रूपये 52.80 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. शोध कार्य हेतु अधिकतम 02 वर्षों तक 20 हजार रूपये प्रतिमाह फैलोशिप दी जायेगी।
3. ऐसे शोधार्थियों का जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में Interns के रूप में सहयोग लिया जावेगा।
4. राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थाओं एवं शोध संस्थानों में इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कांफ्रेन्स में सहभागिता के लिए लगभग 3800 शोधार्थियों को 25 हजार रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राशि रूपये 9.50 करोड़ के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये आयुक्तालय को आवश्यक राशि रूपये 62.30 करोड़ के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। राशि का वित्तीय प्रावधान कॉलेज शिक्षा विभाग के अधीन सम्बन्धित बजट मदों/नवीन बजट मदों में आयुक्तालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर किया जावेगा।
6. योजना का नोडल विभाग अर्थात् आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा। योजना की पूर्ण मॉनेटरिंग कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।
7. उक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना के अनुसार राजकीय महाविद्यालय के शोधार्थियों के भुगतान के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा एवं विश्वविद्यालय के शोधार्थियों को राशि के भुगतान के संबंध में समस्त कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी। कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को शोधार्थियों को भुगतान करने हेतु उनके पीडी खाते में आवश्यक राशि का हस्तान्तरण किया जावेगा।

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.06.23 1?:03:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4123428

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300723 दिनांक 15.06.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मा. मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग।
8. शासन उप सचिव-II, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation: Deputy Secretary
Date: 2023.06.23 1?:03:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4123428

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7 (4) बजट घोषणा/अकाद/आकाशि/2023-02802/114 दिनांकः 03 जुलाई,2023

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर-राजस्थान
4. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक, आयोजना , कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ईमेल करने के हेतु।

(डॉ0 शैला महान)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक